न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

गोपी बनाम गिरधारीलाल वगैरह वगैरह

किस्म मुकदमा:-225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 147/2026 (अजमेर)

श्री कुलदीप सिंह लखावत

गोपी बनाम गिरधारीलाल वगैरह (2026/147)

01.04.2026

यह अपील श्री कुलदीप सिंह लखावत एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2026 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बावत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के धारा 212 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन ही नहीं किया गया, जिससे प्रथम दृष्टया अपीलांट का प्रकरण बखूबी साबित था, की चौसाला जमाबंदी संवत 2022–2025 के प्रतिकूल इन्द्राज वर्किंग जमाबंदी में किये गये थे तथा उक्त इन्द्राज भू प्रबंध विभाग की गलती के कारण दर्ज हुए थे, जिसके बावत ही वादीगण/अपीलांट द्वारा ही वाद प्रस्तुत किया गया है।

यह कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के हक व अधिकार की भूमि है, जिस पर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है, किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक व हिस्से की आराजी में दखलअन्दाजी एवं मदाखलत करने एवं भूमि को रहन, बय एवं मुंतकिल करने एवं प्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। इसलिए प्रार्थीगण के हिस्से में आने वाली भूमि पर प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में दखलअंदाजी पैदा किये जाने से प्रार्थीगण अपनी आराजी का उपयोग व उपभोग करने सें वंचित हो रहा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2026 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित फरमाये जाने एवं ताफैसला अपील विवादित आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया जिसे दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से जो उज्र उठाये गये है वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विधिक रूप से उपचार प्राप्त कर सकते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अतः न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर बिना गुणावगुण पर टिप्पीणी

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

गोपी बनाम गिरधारीलाल वगैरह वगैरह

किस्म मुकदमाः—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 147 / 2026 (अजमेर)

—श्री दिलीप सिंह राठौड़

लगातार...	किये निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील/टीए/147/2026/जिला अजमेर

2026/147

1. गोपी सिंह रावत पुत्र स्व. श्री भूरा सिंह रावत जाति रावत निवासी घाटी वाला नसीराबाद सड़क, माखुपुरा जिला अजमेर
2. ज्ञान सिंह रावत पुत्र स्व. श्री हीरा लाल रावत जाति रावत निवासी 650/39, नसीराबाद रोड, धन भवन, माखुपुरा जिला अजमेर
3. उर्मिला देवी पुत्री स्व. श्री हीरा लाल रावत पत्नी श्रवण सिंह जाति रावत निवासी वार्ड नंबर 7, गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर
4. करन सिंह रावत पुत्र स्व. श्री हीरालाल रावत जाति रावत निवासी धन भवन, नसीराबाद रोड, श्री विनायक हॉस्टल, अजमेर

—— अपीलांट्स

बनाम

1. गिरधारीलाल पुत्र भंवर
2. गोविन्दलाल पुत्र भंवर
3. मगनी पत्नी लाला
4. मुन्नी देवी पत्नी भंवरलाल
5. रवि पुत्र राजेश
6. लक्ष्मण पुत्र सूरजमल
7. विजय पुत्र राजेश
8. शंकर सिंह पुत्र लाला (मृतक) वारिसान नामालूम
9. संजू पुत्री भंवर

10. संजय पुत्र राजेश

11. केसी पत्नी चीमना

12. भंवरलाल पुत्र चीमना

समस्त जाति भांबी निवासीगण माखूपुरा तहसील व जिला अजमेर

13. प्रेम देवी पुत्री मोती

14. प्रहलाद पुत्र मोती

15. रामचंद्र पुत्र मोती

16. विकम पुत्र मोती

17. श्रवण पुत्र मोती

18. अल्का पुत्री हरिराम

19. पूजा पुत्री हरिराम

20. ममता पुत्री हरिराम

21. लक्ष्मीदेवी पत्नी कन्हैयालाल

22. शांति पत्नी हरिराम

23. शिवजी पुत्र हरिराम

24. शकरलाल दत्तक पुत्र कालू

समस्त जाति जाचक निवासीगण माखूपुरा तहसील व जिला अजमेर

25. शैतान सिंह पुत्र श्योजीलाल जाति जाचक निवासी माखूपुरा तहसील व जिला अजमेर

26. सुखराम पुत्र रतना जाति जाचक निवासी माखूपुरा तहसील व जिला अजमेर

Scanned with CamScanner

27. ओमप्रकाश पुत्र धर्मा जाति रावत निवासी माखूपुरा तहसील व जिला अजमेर

28. जयसिंह रावत पुत्र हीरालाल रावत जाति रावत निवासी जय महल नसीराबाद रोड माखूपुरा तहसील व जिला अजमेर

29. मुकेश रावत पुत्र प्रेमसिंह रावत जाति रावत निवासी हताई के पास ग्राम परबतपुरा तहसील व जिला अजमेर

30. देवीसिंह पुत्र बिरदा

31. मिश्रीलाल पुत्र बिरदा

32. हुकम सिंह पुत्र मोहन सिंह

33. शंकर सिंह पुत्र कालूसिंह

34. सुरेन्द्र सिंह पुत्र कालूसिंह

समस्त जाति रावत निवासीगण माखूपुरा तहसील व जिला अजमेर

35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

36. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकारी अजमेर

37. उप पंजीयक अजमेर

—— रेस्पो.

<u>अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर दिनांक 19/03/2026 जो कि प्रकरण संख्या 11/2026 उनवानी गोपी व अन्य बनाम गिरधारीलाल व अन्य में पारित।</u>

Scanned with CamScanner